



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2297]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 24, 2012/अग्रहायण 3, 1934

No. 2297]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 24, 2012/AGRAHAYANA 3, 1934

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2787(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए सुश्री शिल्पा सिंह, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2787(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby

4397 GI/2012

(1)

appoints Ms. Shilpa Singh, Advocate, as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other proceedings arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the territory of the National Capital Territory of Delhi.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2788(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री हरनीत सिंह धनोआ, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009 आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2788(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2150(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of District and Sessions Judge, Yupia, Itanagar as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Arunachal Pradesh.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2151(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश (एन डी पी एस एक्ट), भोपाल के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of Special Judge, (NDPS Act), Bhopal as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Madhya Pradesh.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2152(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त

उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए न्यायिक आयुक्त, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of Judicial Commissioner, Ranchi as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Jharkhand.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2010

का.आ. 2153(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चण्डीगढ़ के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ होगा।

[सं. 17011/50/2009-आई एस-VI]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2010

S.O. 2153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby notifies the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Chandigarh as the Special Court for purposes of the said sub-section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences.

2. The Jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Chandigarh.

[No. 17011/50/2009-IS-VI]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

न्यायाधीश के न्यायालय, चंडीगढ़ को दिनांक 1 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2153 (अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र था;

और जबकि, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए श्रीमती शालिनी सिंह नागपाल, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ के नाम की संस्तुति की है;

अतः अब राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्रीमती शालिनी सिंह नागपाल, वरिष्ठतम अपर सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए "न्यायाधीश" के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2012

S.O. 1588(E)— Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), had notified the Court of Senior Most Additional Sessions Judge at Chandigarh as the Special Court for purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act for the trial of Scheduled Offences having Jurisdiction throughout the Union territory of Chandigarh vide notification number S. O. 2153 (E), dated the 1st September, 2010;

And whereas, the Hon'ble Acting Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, has recommended the name of Mrs Shalini Singh Nagpal, Senior Most Additional Sessions Judge, Chandigarh to preside over the said Special Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008, the Central

Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Harneet Singh Dhanoa, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other Proceedings arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the Union Territory of Chandigarh.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2789(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री चौहान शैलेश, त्रिकमलाल अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2789(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Chauhan Sailesh Trikamlal, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial

courts, appeals, revisions or other Proceedings arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2012

का.आ. 2790(अ).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) के साथ पठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, विचारण न्यायालयों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा चलाए गए मामलों, दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के भू-भाग में विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण अथवा अपील न्यायालयों में उक्त मामलों से संबंधित अपीलों, पुनरीक्षाओं अथवा अन्य मामलों में पैरवी करने के लिए श्री ओरलेन्डो वी. मिरांडा, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11034/30/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2012

S.O. 2790(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), read with sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Orlando V. Miranda, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting the cases instituted by the National Investigation Agency in the trial courts, appeals, revisions or other Proceedings arising out of the case in revisional or appellate courts established by law in the Union Territory of Daman and Diu.

[F. No. 11034/30/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.